## न्<u>यायालय— न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,गोहद जिलाभिण्ड</u> <u>मध्यप्रदेश</u> पीठासीन अधिकारी— केशव सिंह

आपराधिक प्रकरण कमांक 122/2014 संस्थापित दिनांक 17/02/2014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र— गोहद जिला भिण्ड म०प्र०.

<u>..... अभियोजन</u>

#### बनाम

- 1. सुरेश पुत्र रामस्वरूप बाल्मीक उम्र-50साल
- 2. मदन पुत्र रामस्वरूप बाल्मीक उम्र-45साल
- 3. चतुरी पुत्र रामस्वरूप बाल्मीक उम्र-46साल
- महेश पुत्र गुप्टी बाल्मीक उम्र—55साल समस्त निवासीगण वार्ड क.7 इटाइली गेट गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

<u>...... अभियुक्तगण</u>

#### <u>::- निर्णय -::</u>

### (आज दिनाक 09/07/2014 को घोषित किया)

- 1. आरोपीगण के विरूद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 294,324/34 तथा 506 बी—2 के अपराध के आरोप हैकि दिनांक 06/02/14 के 2.00 बजे बेहट रोड मौ पर सार्वजनिक स्थान पर फरियादी नरेश को मॉ बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व उपस्थित जनसमूह को क्षोभ कारित किया व फरियादी नरेश को धारदार हथियार से चोट पहुंचाकर स्वेच्छा उपहित कारित की व जान से मारने की धमकी देकर मृत्यू का भय उत्पन्न कारित किया
- 2. अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि फरियादी नरेश बाल्मीक ने मय अपने लडके बबलू के साथ पुलिस थाना गोहद में दिनांक 06/02/14 के 2:00 बजे दिन में उपस्थित होकर इस आशय की जुवानी रिपोर्ट की कि आज दिन के 2:00 बजे की बात है वह नगर पालिका के सामने खडा था तभी महेश,चतुरी,मदन,सुरेश चारो लोग आये और मादर चोद बहन चोद की भददी—भददी गालियाँ देने लगे उसने गाली देने से मना किया तो महेश ने उसे पकड लिया सुरेश ने सिर में छूरी मारी मदन ने एक डंडा मारा जो उसके बाये बखोरा में लगा चतुरी ने लात घूसों से

मारपीट की जिससे उसकी आँख के उपर चोट लगी वह चिल्लाया तो मनीष व मिथुन व मुन्ना आ गये जिन्होने घटना देखी एवं बीच बचाव कराया जाते समय चारो लोग कह रहे थे कि आज तो बच गये आईन्दा जान से खत्म कर देगें।

- 3. फरियादी की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना गोहद द्वारा अप0क0 46/14 पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया । विवेचना के दौरान आरोपीगण को गिरफतार किया गया एवं संपूर्ण विवेचना पूर्ण कर अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
- 4. आरोपीगण के विरूद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 294,324/34 तथा 506 बी—2 के आरोपो की विरचना की गई आरोपीगण ने उक्त आरोपो को अस्वीकार कर विचारण न्यायालय से चाहा ।
- 5. प्रकरण में फरियादी, पक्ष द्वारा आरोपी से राजीनामा कर लेने के कारण आरोपी को भा0द0वि0 की धारा 294,506बी में दोषमुक्त किया गया जाकर आरोपी को भा.द.वि.की धारा 324/34 के अंतर्गत विचारण किया जा रहा है।

### 6. प्रकरण में निम्नलिखित अवधारणीय प्रश्न यह हैकि

 क्या आरोपीगण ने सार्वजिनक स्थान फिरयादी को धारदार हथियार से मारपीट कर स्वेच्छा उपहित कारितकी?

# सकारण निष्कर्ष

:--

- 7. नरेश आ०सा०1 का कहना हैकि 4,5 माह पहले वह नगर पालिका के पास खडा था चारो आरोपीगण ने उसे माँ बहनकी गालियाँ दी और मिलकर डंडो से मारपीट की उसने घटना की रिपोर्ट थाने पर की थी जो प्र०पी०1 की है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है पुलिस ने घटना सील का नक्शा मौका बनाया जो प्र०पी०1 का है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका—2 में यह स्वीकार किया हैकि उसे किसी घारदार हथियार से चोट नहीं पहुचाई थी साक्षी ने न्यायालीन अभिलेख पर कही भी इस आशय का कथन नही दिया हैकि उसे किसी घारदार हथियार अथवा घातक हथियार से चोटपहुचाकर उपहित कारित की हो। साक्षी के कथनो से यह तथ्य प्रमाणित नहीं होता हैकि आरोपीगण ने साक्षी को घारदार हथियार हथियार से चोट पहुचार उपहित कारित की हो।
  - 8. प्रकरण में फरियादी एवं आरोपीगण के मध्य आपसी

राजीनामा किया जा चुका है जिससे विदित होता हैकि फरियादी ने आपसी राजीनामा से प्रभावित होकर न्यायालीन अभिलेख पर कथन दिये है जिससे यह तथ्य प्रमाणित नहीं होता हैकि आरोपीगण ने फरियादी को धारदार हथियार से चोट पहुचाकर उपहित कारित की हो।

- 9. अभियोजन मामले के अनुसार मेडीकल रिपोर्ट का अवलोकन करे तो इससे दर्शित होता हैिक आहत नरेश को किसी धारदार हथियार से चोट पहुचाकर उपहित कारित की है लेकिन फरियादी नरेश ने न्यायालीन अभिलेख पर दिये कथनों में इस तथ्य का समर्थन नहीं किया हैिक आरोपीगण ने उसे किसी धारदार हथियार से चोट पहुचाई हो ऐसी स्थिति में आरोपीगण के विरुद्ध भा.द.वि.की धारा 324/34 के अपराध का समर्थन नहीं होता है।
- 10. प्रकरण में आरोपीगण के आरोपित आरोप भा.द.वि. की धारा324 पूर्णतः अप्रमाणित पाये गये शेष अपराधों मे आपसी राजीनाम किया जा चुकाहै अतः आरोपीगण को भा.द.वि.की धारा 324 के आरोपित आरोप से दोषमुक्त किया जाताहै उनके जमानत मुचलके भारहीन होने से उनमोचित किये जाते है।
  - 11. प्रकरण में निराकरण हेतु मुददेमाल नहीं है।
- 12. प्रकरण में धारा 428 द0प्र0स0 के तहत प्रमाणपत्र तैयार किया जावे।
- 13. प्रकरण में अभियाजन की ओर से माननीय अपीलीय न्यायालय में अपील या याचिका दायर की जाती है तो आरोपी माननीय न्यायालय के समक्ष उप०रहे इस संबंध में धारा 437ए द0प्र0स0 के तहत 10 हजार रूपये की सक्षम जमानत व इतनी ही राशि का बंधपत्र प्रस्तुत करे।

निर्णय खुले न्यायालयमे हस्ताक्षरितव दिनांकित कर घोषित किया गया

मेरे निर्देश पर टाईप किया

हस्ता <u>/ सही</u> जे०एम०एफ०सी०गोहद हस्ता <u>/ सही</u> जे०एम०एफ०सी०गोहद

### 4 आपराधिक प्रकरण कमांक 122/2014